क्रम या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

श्याम हंसदा, पिता-स्व0 रोहड़ा मांझी, ग्राम-चनारो, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-चुरचू, मौजा-चनारो, थाना नं0-20, खाता संख्या-98, प्लॉट संख्या-611, रकवा-10 डी0 भूमि सुकु मांझी, पिता स्व0 अकलु मांझी, ग्राम-चनारो, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-715/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-3651/रा0 दिनांक-30.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, चुरचू को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, चुरचू हजारीबाग के पत्रांक 356 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चुरचू हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं एक ही थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत भगलु मांझी वगै0 हैं। खतियान के अनुसार खाता सं0-98, प्लॉट सं0-611, रकवा 71 डी0 भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 16.52 एकड़ है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-27/II पर आवेदक के दादा भगलु मांझी वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2019-20 तक लगान रसीद निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के दादा वगै0 है। आवेदक द्वारा धारित प्लॉट सं0-611 का रकवा/आवेदक के हिस्से की भूमि 35 1/2 डी0 है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के हिस्से की भूमि जमाबंदी के अनुसार 1.96 1/2 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
	अंचल अधिकारी, चुरचू हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, चुरचू हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्याम हंसदा, पिता–स्व0 रोहड़ा मांझी, ग्राम–चनारो, थाना–चरही, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–चुरचू, मौजा–चनारो, थाना नं0–20, खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–611, रकवा–10 डी0 भूमि सुकु मांझी, पिता स्व0 अकलु मांझी, ग्राम–चनारो, थाना–चरही, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 7/01/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 7/01/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.01.07 17:06:46 +05:30
Location: 192.168.0.109